भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1878
जिसका उत्तर गुरुवार, 16 मार्च, 2023 को दिया जाना है

न्यायालयों के समक्ष केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के लंबित मामलें

1878 श्री सुशील कुमार मोदी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरवरी, 2023 तक केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के कुल कितने मामले उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और जिला एवं सत्र न्यायालयों के समक्ष लंबित हैं, तत्संबंधी मंत्रालय/विभाग-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) देश में कुल लंबित मामलों में सरकारी मुकदमों का वर्तमान भाग कितना है ;

(ग) केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के कुल लंबित मामलों में न्यायालय के आदेशों पर निष्क्रियता से जुड़े अवमानना के मामलों का हिस्सा कितना है ;

(घ) सरकार द्वारा विगत पांच वर्षों के दौरान मुकदमेबाजी पर वर्ष-वार कितना व्यय किया गया है ; और

(ङ) राष्ट्रीय मुकदमेबाजी नीति ने सरकारी मामलों के लंबित होने को किस हद तक कम किया है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : विभिन्न न्यायालयों के समक्ष लंबित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों से संबंधित मामलों की कुल संख्या के संबंध में जानकारी एलआईएमबीएस (विधिक सूचना प्रबंधन और ब्रीफिंग प्रणाली) पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों से संकलित की गई है, जिसे संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा अपलोड किया गया है और वह **उपाबंध-क** है।

(ख) : राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) पोर्टल के अनुसार देश के विभिन्न न्यायालयों के समक्ष कुल 4,87,99,450 मामले लंबित हैं। यह पोर्टल उन मामलों के बारे में अलग से जानकारी नहीं रखता है जिनमें केंद्रीय सरकार पक्षकार है। एलआईएमबीएस, विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा अनुरक्षित एक पोर्टल है और इसमें मुकदमेबाजी से संबंधित जानकारी रखी जाती है जहां केंद्रीय सरकार एक पक्षकार है। एलआईएमबीएस पोर्टल में उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 5,94,584 मामले लंबित हैं जिनमें केंद्रीय सरकार पक्षकार है।

(ग) : एलआईएमबीएस पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़े के अनुसार जो 55 मंत्रालयों/विभागों के उपयोगकर्ताओं द्वारा दर्ज किया गया है, न्यायालय के आदेशों पर निष्क्रियता से संबधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के कुल लंबित मामलों में अवमानना के मामलों का हिस्सा 0.4% है।

(घ) : सूचना संकलित की गई है और **उपाबंध-ख** के अनुसार है।

(ङ) : विधि कार्य विभाग द्वारा वर्ष 2010 में राष्ट्रीय मुकदमेबाजी नीति तैयार की गई थी। मंत्रीमंडल के लिए प्रारूप टिप्पण सभी मंत्रालयों/विभागों को परिचालित किया गया था। हालांकि, इसे मंत्रीमंडल के सामने नहीं रखा जा सका। 2010 की राष्ट्रीय मुकदमेबाजी नीति पुनविरचित की गई थी और पुनरीक्षित नीति, अंतर-मंत्रालयी, सचिवों की समिति (सीओएस), मंत्रियों की अनौपचारिक टीम और विधि आयोग सहित विभिन्न स्तरों पर कई परामर्शों/विचार-विमर्श के पश्चात्, सचिवों की समिति के विचार के लिए फिर से प्रस्तुत की गई थी। 14.09.2017 को हुई अपनी बैठक में सीओएस ने अन्य बातों के साथ-साथ सिफारिश की थी कि प्रस्तावित राष्ट्रीय मुकदमेबाजी नीति लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुकदमेबाजी को कम करने के लिए व्यापक दिशानिर्देश जारी करके समान उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। हालांकि, विभिन्न मंत्रालय/विभाग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप अलग-अलग निर्देश जारी कर मुकदमेबाजी को कम करने के लिए कदम उठा रहे हैं।

****

उपाबंध-क

उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, जिला और सत्र न्यायालयों के मामले

क्र.सं.	मंत्रालय	उच्चतम न्यायालय	उच्च न्यायालय मामले	जिला और सत्र न्यायालय
1	कृषि और किसान कल्याण	65	1653	553
2	आयुष	26	744	1
3	केंद्रीय सतर्कता आयोग	11	110	1
4	रसायन और उर्वरक	24	579	43
5	नागरिक उड्डयन	22	337	9
6	कोयला	191	3218	370
7	वाणिज्य और उद्योग	163	3459	126
8	संचार दूरसंचार (डीओटी)	185	1278	112
9	संचार (डीओपी)	117	3959	1468
10	भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक	78	15285	788
11	उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण	74	801	5
12	कारपोरेट कार्य	260	8189	1010
13	संस्कृति	41	1185	313
14	रक्षा	1235	14973	8794
15	परमाणु ऊर्जा विभाग	21	519	63
16	अंतरिक्ष विभाग	7	155	36
17	उत्तर पूर्वी क्षेत्र का विकास	1	13	7
18	पृथ्वी विज्ञान	3	114	3
19	शिक्षा (एमओई)	597	12310	691
20	निर्वाचन आयोग	73	342	3
21	पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन	396	1410	15
22	विदेश कार्य	24	879	173
23	वित्त	9074	63157	2284
24	मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी	49	207	8
25	भारतीय खाद्य निगम	278	4210	1126
26	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	1	52	3
27	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	305	3802	101
28	भारी उद्योग	22	315	7
29	गृह मंत्रालय	967	18373	1661
30	आवासन और शहरी कार्य	184	1463	682
31	सूचना और प्रसारण	67	826	80
32	जल शक्ति (जल संसाधन विभाग)	94	602	96
33	जल शक्ति (पीने का पानी और स्वच्छता)	8	30	0
34	श्रम और रोजगार	321	23388	15534
35	विधि और न्याय	175	517	5
36	एमईआईटीवाई	72	504	27
37	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	11	516	128
38	खान	68	979	170
39	अल्पसंख्यक मामले	33	0	0

उपाबंध-ख

क्र.सं.	**वित्तीय वर्ष**	**उपगत व्यय (रू.)**
1.	2018-19	50,85,65,984/-
2.	2019-20	60,40,71,128/-
3.	2020-21	58,01,97,187/-
4.	2021-22	48,37,38,253/-
5.	2022-23 (फरवरी 2023 तक)	45,36,83,824/-

****